प्रेस विज्ञप्ति

03.04.2024

प्रवर्तन निदेशालय (ईडी), दिल्ली ने दिल्ली जल बोर्ड [डीजेबी] के मामले में दिनांक 28-03-2024 को धन शोधन निवारण अधिनियम (पीएमएलए), 2002 के प्रावधानों के तहत दिल्ली जल बोर्ड (डीजेबी) के तत्कालीन मुख्य अभियंता जगदीश कुमार अरोड़ा, तेजिंदर पाल सिंह [जगदीश कुमार अरोड़ा के करीबी सहयोगी] अनिल कुमार अग्रवाल [मैसर्स इंटीग्रल स्क्रू इंडस्ट्रीज के मालिक, उप-ठेकेदार], डीके मित्तल [एनबीसीसी के तत्कालीन कर्मचारी] और मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड [डीजेबी के ठेकेदार] के विरुद्ध माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन शिकायत दर्ज की है। माननीय पीएमएलए विशेष न्यायालय ने 03-04-2024 को अभियोजन शिकायत का संज्ञान लिया है।

ईडी ने सीबीआई द्वारा दर्ज की गई शिकायत के आधार पर जांच शुरू की। शिकायत के अनुसार, जगदीश कुमार अरोड़ा [तत्कालीन मुख्य अभियंता, डीजेबी] ने दिल्ली जल बोर्ड के फ्लो मीटर का ठेका मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड को अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत 38 करोड़ रुपए में दिया जबकि उक्त कंपनी तकनीकी पात्रता मानदंडों को पूरा नहीं करती थी।

ईडी की जांच से पता चला कि ठेकेदार-मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने जाली दस्तावेज जमा करके टेंडर हासिल किया। जगदीश कुमार अरोड़ा ने रिश्वत के बदले में उक्त इकाई को ठेका दिया। ठेका अत्यधिक बढ़ी हुई कीमत 38 करोड़ रुपए में दिया गया था। बोली जीतने के बाद, मैसर्स एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर लिमिटेड ने अनिल कुमार अग्रवाल के स्वामित्व वाली फर्म मैसर्स इंटीग्रल स्क्रूज़ लिमिटेड को काम का उप-ठेका दिया क्योंकि एनकेजी इंफ्रास्ट्रक्चर के पास इसे निष्पादित करने की क्षमता नहीं थी। दिल्ली जल बोर्ड द्वारा प्राप्त 24 करोड़ रुपए में से ठेके के काम में केवल 14 करोड़ रुपए खर्च किए गए और शेष राशि रिश्वत देने में खर्च कर दी गयी। जगदीश कुमार अरोड़ा को 3.19 करोड़ रुपए की रिश्वत मिली जिसमे से उन्होंने 2 करोड़ रुपए दिल्ली जल बोर्ड के अन्य अधिकारियों को और आम आदमी पार्टी को चुनावी राशि के रूप में अंतरित कर दिए।

ईडी ने पहले 24-07-2023 और 17-11-2023 को तलाशी अभियान चलाया था जिसके परिणामस्वरूप आपराधिक दस्तावेज और सबूत जब्त किए गए थे। ईडी ने 31-01-2024 को जगदीश कुमार अरोड़ा और अनिल कुमार अग्रवाल को गिरफ्तार किया था और दोनों आज तक न्यायिक हिरासत में हैं। ईडी ने आरोपियों की 8.8 करोड़ रुपए मूल्य की विभिन्न अचल संपत्तियों को भी अनंतिम रूप से कुर्क किया था।

आगे की जांच जारी है।